(iv) comparatively longer stabilisation period of the newly commissioned units;

(v) non-availability of trained operation and monitoring personnel; and

(vi) poor quality of coal supplies etc.

(b) A number of measures have been taken and are being taken to improve the performance of thermal power stations. These measures include :

(i) assistance to the State Electricity Boards/Power station authorities to identify the deficiencies in the plant and equipment etc. and to prepare and undertake plant betterment programme in a time bound manner;

(ii) adoption of preventive maintenance techniques reducing the outage periods;

(iii) arranging timely supply of spare parts from the suppliers as well as advising power stations to place orders for spares well in time;

(iv) arrangements to ensure requisite quality of coal;

(v) setting up of task force particularly for 200 MW units comprising representatives of CEA, BHEL, ILK and State Electricity Boards to identify the deficiencies and prepare a time bound programme for achieving early stabilisation and improving performance of 200 MW units;

(vi) visits of roving teams of operation specialists from CEA to monitor the operation practices and to render advice; and

(vii) training of engineers and operation and maintenance personnel of the power stations.

These measures have improved the plant load factor to 45.2% in April-December 1981 as against 42.7% in April-December 1980. The financial loss owing to lower utilisation is not computed separately.

Opening of a Telegraph Office at Banda in U.P.

283. SHRI RAMANATH DUBEY : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether Government have ordered for opening a Departmental Telegraph Office at Banda, Uttar Pradesh ; and

(b) if so, when and the reason for not opening it so far ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) Opening of a Departmental Telegraph Office was sanctioned on 18-4-1981. For want of suitable rented accommodation, the Departmental Telegraph Office is yet to be opened. G.M. Telecom. U.P. is making intensive search for suitable accommodation. The Departmental Telegraph Office at Banda will be opened as soon as suitable accommodation is available.

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े आपराधिक सिविल और राजस्व सम्बन्धी मामले

284. श्री कृष्णदत्त सुल्तान पुरी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी ऐसे कितने मामले हैं जो पिछले पांच वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में निपटारे के लिए अनिर्णीत पड़े हैं और ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनमें ये मामले अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है और इस सम्बन्ध में हुई देरी के क्या कारण हैं तथा क्या तत्सम्बन्धी पूर्ण व्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) देश के विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में गत पांच वर्ष से लम्बित दांडिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी मामलों की संख्या विवरण I में दी गई है ।

(ख) लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम विवरण II में उपदर्शित है ।

मामलों के निपटाने में विलम्ब की समस्या पर सरकार का बराबर ध्यान जाता रहा है । अनेक जटिल कारणों से मामलों के निपटाए जाने में विलम्ब हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है । इस विषय पर पहले भी अनेक निकायों ने खोजबीन की है । उच्च न्यायालयों में विलम्ब होने के सम्बन्ध में विधि आयोग (नवां विधि आयोग) की 79 वीं रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट है । यह रिपोर्ट राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को भेज दी गई है ।

सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली का पुनरीक्षण करते रहने के लिए विधि आयोग (10 वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति कर दी है । आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ विषय विलम्ब कम करने और बकाया मामलों को तेजी से निपटाने के सम्बन्ध में है ।

विवरण-I

वर्ष 1977 से जून, 1981 के दौरान उच्च न्यायालयों में लंबित सिविल, दांडिक और राजस्व संबंधी मामलों का विवरण ।

उच्च न्यायालय का नाम	1977			1978		
	सिविल £	दांडिक	राजस्व @	सिविल £	दांडिक	राजस्व @
इलाहाबाद	107875	21788	3086	102914	21354	1584
आंध्र प्रदेश	14466	1142	279	18195	1375	480
बंबई	44419	4596	3577	46202	4437	4183
कलकत्ता*	61890	5408	2755	67837	3105	2011
दिल्ली	22769	1536	2282	25624	1685	2821
गोहाटी	5020	1391	137	5427	1553	145
गुजरात	9508	1458	756	9993	2044	953
हिमाचल प्रदेश	4486	503	30	4702	548	31
जम्मू कश्मीर	3790	856	31	5153	1146	41
कर्नाटक *	34604	588	907	42187	542	930
केरल	41134	1179	426	32920	1296	336
मध्य प्रदेश	20760	10626	1304	20617	9456	1137
मद्रास	42903	5283	3577	40915	5631	3610
उड़ीसा	4419	1119	504	5942	1409	557

पटना *	21105	7622	708	26096	8923	795
पंजाब और हरियाणा	36198	9099	772	30863	6549	866
राजस्थान *	11640	4626	361	12233	4870	494
सिक्किम	14	7	कुछ नहीं	11	1	कुछ नहीं
योग :	487000	78827	21492	497831	75924	20974

* केवल मूल मामले ।

@ इसके अन्तर्गत आय-कर निर्देश, विक्रय कर निर्देश और अन्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर निर्देश और आवेदन भी हैं ।

£ राजस्व सम्बन्धी मामले अपवर्जित ।

उच्च न्यायालय का नाम	1979			1980		
	सिविल $	दांडिक	राजस्व @	सिविल $	दांडिक	राजस्व @
इलाहाबाद	83070	19271	997	88990	20001	1255
आंध्र प्रदेश	22861	1662	530	34758	2089	755
बंबई	48773	4864	4361	56924	5078	5904
कलकत्ता*	69853	3193	2230	76341	4648	2837
दिल्ली	25384	1616	3421	25644	1841	3502
गोहाटी	5610	1393	132	6732	1524	129
गुजरात	12600	2142	1129	15267	2771	1435
हिमाचल प्रदेश	5530	576	23	5522	446	27
जम्मू कश्मीर	5526	1165	62	7281	1472	73
कर्नाटक*	53520	1088	1009	64777	1049	1094
केरल	29560	1643	509	27476	1929	759
मध्य प्रदेश	18719	7889	1078	18365	6714	797
मद्रास	47140	7582	3908	49350	6085	4548
उड़ीसा	7166	1596	571	8544	1748	585
पटना*	24178	9452	852	25615	10684	1155
पंजाब और हरियाणा	29658	3546	911	29417	3515	983
राजस्थान*	14214	5012	538	15848	5989	693
सिक्किम	24	5	कुछ नहीं	31	6	कुछ नहीं
योग	503386	73705	22261	556882	77589	25531

* केवल मूल मामले ।

@ इसके अंतर्गत आय-कर निर्देश, विक्रय कर निर्देश और अन्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर निर्देश और आवेदन भी हैं ।

$ राजस्व संबंधी मामले अपवर्जित ।

उच्च न्यायालय का नाम	1981 (जून तक)		
	सिविल $	दांडिक	राजस्व @
इलाहाबाद	122765	21668	1460
आंध्र प्रदेश	46452	2508	801
बम्बई	59725	4994	4839
कलकत्ता *	77539	5510	2754
दिल्ली	31395	2392	3343
गोहाटी	7646	1631	156
गुजरात	17181	3152	1384
हिमाचल प्रदेश	5447	473	27
जम्मू-कश्मीर	8874	1769	79
कर्नाटक *	76697	1380	1140
केरल	28995	2589	842
मध्य प्रदेश	19071	6558	721
मद्रास	58645	7487	4664
उड़ीसा	9617	1997	596
पटना *	28046	11564	1341
पंजाब और हरियाणा	30643	3191	1003
राजस्थान *	17509	6474	778
सिक्किम	37	5	—
योग	646284	85352	25928

* केवल मूल मामले।

@ इसके अन्तर्गत आय-कर निर्देश, विक्रय कर निर्देश और अन्य अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर निर्देश और आवेदन भी हैं।

$ राजस्व सम्बन्धी मामले अपवर्जित।

विवरण-II

उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम

(1) उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील करने के उपबन्ध को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1973 में अधिनियमित की गई तथा 1978 और 1980 में उसका संशोधन किया गया।

(3) राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों से अनुरोध किया गया है कि वे न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के अपने प्रस्ताव विनिर्दिष्ट समग्र-सीमा के भीतर भेजें।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई कर रहे हैं :—

(क) सूचना तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना।

(ख) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना।

(ग) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(घ) भूमि अर्जन आदि के मामलों से उत्पन्न होने वाले विषयों को एक समूह में रखना।

(5) उच्च न्यायालयों के कार्यभार को कम करने के लिए सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क अधिकरण जैसे प्रशासनिक अधिकरण गठित किए गए हैं।

(6) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, जो 1970 में 308 थीं, वह जनवरी, 1982 में बढ़ाकर 470 कर दी गई है। कुछ उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।

(7) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली का पुनरीक्षण करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की भी नियुक्ति कर दी है। विधि आयोग को निर्दिष्ट विषयों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(I) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिएं, मामलों के शीघ्र और कम खर्च पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलंब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए,

(II) तकनीकी बारीकियों और बिलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करें,

(III) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमों या उनके ऐसे भागों को जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून-पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

Rajasthan Government's proposal for installation of Microwave Monitor at Jaipur

285. SHRI JAI NARAYAN ROAT : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Centre had received a proposal from Rajasthan Government to install a microwave monitor at Jaipur to enable the people watch Delhi Doordarshan programmes ; and

(b) if so, the details thereof and action so far taken in the matter ?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI VASANT SATHE) : (a) and (b). Yes Sir. The proposal to link Jaipur with the microwave link is under consideration.

Modernisation of Telecommunications System

286. SHRI SATYA GOPAL MISRA : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) is there any proposal for modernising the country's tele-communication network ;

(b) if so, what are the proposals. with details thereof ; and

(c) by what time the telecom. system is proposed to be up-dated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS : (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : (a) Yes. Sir.

(b) modernisation of telecommunication network of the country envisages :

(i) introduction of electronic switching system for local exchanges, trunk automatic exchanges and telexes ;

(ii) digital line and radio relay systems for transmission ;

(iii) satellite communication; and

(iv) pulse code modulation (PCM) techniques for junction network.

(c) The above innovations will be introduced in the network progressively depending on the availability of resources. In the 6th Plan, electronic local exchanges, trunk exchanges and telexes are proposed at metropolitan centres. Digital transmission systems and satellite communication have already been introduced to a limited scale. Satellite communication will be further augmented when Indian satellite project, INSAT, comes through in 1982-83. PCM for junction between local exchanges has already been introduced in some of the major cities and is being extended progessively to other multi exchange systems.

Improvement and Expansion of Telephone facilities

287. SHRI MAGANBHAI BAROT : Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what are the steps proposed to be taken for providing improved